राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2032/2021

सत्यनारायण छीपा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, संस्कृत शिक्षा, द्वितीय मंजिल, ब्लॉक–6, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर (राज.)।
3. संभागीय शिक्षा अधिकारी, संस्कृत, ई–179, रमेश मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 10.06.2021
आदेश की दिनांक : 17.08.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री मनीष शर्मा, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : डॉ. पुष्पेन्द्र पाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को अध्यापक ग्रेड द्वितीय संस्कृत के पद पर पदोन्नति हेतु विचार किया जावे और जिस तिथि से उससे कनिष्ठ कार्मिकों को उक्त पद पर पदोन्नत किया गया है, उसी तिथि से अपीलार्थी को भी पदोन्नति का लाभ एवं समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किए जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी ने वर्ष 1975 एवं 1977 में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक योग्यता उत्तीर्ण की और वर्ष 1980 में स्नातक योग्यता अर्जित की और वर्ष 1984 में राजनीति विज्ञान से स्नात्कोत्तर योग्यता अर्जित की, जिसकी डिग्री दिनांक 17.10.1985 को प्रदान की गई। अपीलार्थी ने वर्ष 1985 में बी.एड. परीक्षा उत्तीर्ण की और वर्ष 1993 में हिन्दी से मास्टर डिग्री उत्तीर्ण की और वर्ष 1985 में अपीलार्थी ने जिला रोजगार कार्यालय टोंक में नाम दर्ज कराया। आदेश दिनांक

29.06.1991 के द्वारा अपीलार्थी की अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर नियुक्ति हुई, जो राजस्थान संस्कृत शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम, 1978 के तहत वेतनमान 1200–30–1560–40–2000–50–2050 में आदेश दिनांक 29.01.1991 के द्वारा नियुक्त किया गया। राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, कल्याणपुरा, टोंक पदस्थापित किया गया। विभाग द्वारा दिनांक 01.07.2011 से वरिष्ठता के आधार पर स्थायी किए गए, जिसमें अपीलार्थी का नाम सूची दिनांक 02.08.2011 में क्रम संख्या 417 पर अंकित किया गया, जिसमें अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिक अर्चना, श्रीमती सरोज, सत्यनारायण शर्मा, सुगनचंद एवं कृष्णकांत जिनको क्रम संख्या 446, 448, 497, 502 एवं 527 पर दर्शाया गया। अपीलार्थी उक्त कार्मिकों से वरिष्ठ है चूंकि अपीलार्थी ने स्नातक योग्यता इतिहास, राजनीति विज्ञान एवं संस्कृत में उत्तीर्ण की है। उनका कथन है कि उक्त कार्मिकों को वर्ष 2009 में जो अपीलार्थी से कनिष्ठ थे, उन्हें अध्यापक ग्रेड द्वितीय संस्कृत के पद पर अधिकरण के आदेश दिनांक 21.09.2012 की पालना में पदोन्नत कर दिया गया। जबकि अपीलार्थी को पदोन्नत नहीं किया गया। अधिकरण के आदेश दिनांक 08.11.2013 को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 7593/2014 श्रीमती सरोज शर्मा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य आदि प्रस्तुत की गई, जिसके क्रम में माननीय न्यायालय ने आदेश दिनांक 25.08.2015 के द्वारा अधिकरण के आदेश को निरस्त कर दिया गया, जिसको माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ डी.बी.सिविल स्पेशल अपील (रिट) संख्या 987/2015 श्री सरोज शर्मा बनाम राज्य व अन्य को चुनौती दी गई और माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने अधिकरण के आदेश को सही बताया है और उक्त आदेश की पालना में उपर्युक्त कार्मिकों को पदोन्नति प्रदान की गई, जो अपीलार्थी से कनिष्ठ हैं। परंतु अपीलार्थी को उक्त पद पर उक्त कार्मिकों के समान पदोन्नति प्रदान नहीं की गई, जो सेवा नियमों के विपरीत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को अध्यापक ग्रेड द्वितीय संस्कृत के पद पर पदोन्नति हेतु विचार किया जावे और जिस तिथि से उससे कनिष्ठ कार्मिकों को उक्त पद पर पदोन्नत किया गया है, उसी तिथि से अपीलार्थी को भी पदोन्नति का लाभ एवं समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय,

जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.08.2015 के विरूद्ध खण्डपीठ में स्पेशल अपील दायर की, जिसमें आदेश दिनांक 26.10.2018 के द्वारा अधिकरण के आदेश दिनांक 08.11.2013 के अनुसार बी.ए. संस्कृत योग्यताधारी शिक्षकों का वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत के पद पर पदोन्नति करने के आदेश प्रदान किए, जिसकी पालना में दिनांक 26.02.2020 को वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत के पद पर पदोन्नति दी गई। अपीलार्थी उक्त योग्यता पूर्ण नहीं करता है, जिसके कारण अपीलार्थी को उक्त पद पर पदोन्नति प्रदान नहीं की गई है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने जवाब का उल जवाब प्रस्तुत करते हुए बहस की है कि अपीलार्थी स्नातक योग्यता में संस्कृत विषय है, जो उसने उत्तीर्ण किया है। उनका यह भी कथन है कि उससे कनिष्ठ कार्मिकों को अध्यापक ग्रेड द्वितीय के पद पर पदोन्नति दे दी गई। जबकि अपीलार्थी उक्त पद के लिए योग्यता रखता है, फिर भी उसे पदोन्नत नहीं किया गया, जो विधि एवं नियमों के विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि आदेश दिनांक 29.06.1991 के द्वारा राजस्थान संस्कृत शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम, 1978 के तहत अपीलार्थी को अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर वेतनमान 1200–30–1560 –40–2000–50–2050 में आदेश दिनांक 29.01.1991 के द्वारा नियुक्त किया गया और उसे राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, कल्याणपुरा, टोंक पदस्थापित किया गया। विभाग द्वारा दिनांक 01.07.2011 से वरिष्ठता के आधार पर कार्मिक स्थायी किए गए, जिसमें अपीलार्थी का नाम सूची दिनांक 02.08.2011 में क्रम संख्या 417 पर अंकित किया गया, जिसमें अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिक अर्चना, श्रीमती सरोज, सत्यनारायण शर्मा, सुगनचंद एवं कृष्णकांत जिनको क्रम संख्या 446, 448, 497, 502 एवं 527 पर दर्शाया गया। अपीलार्थी उक्त कार्मिकों से वरिष्ठ है चूंकि अपीलार्थी ने स्नातक योग्यता इतिहास, राजनीति विज्ञान एवं संस्कृत में उत्तीर्ण की है। उनका कथन है कि उक्त कार्मिकों को वर्ष 2009 में जो अपीलार्थी से कनिष्ठ थे, उन्हें अध्यापक ग्रेड द्वितीय संस्कृत के पद पर अधिकरण के आदेश दिनांक 21.09.2012 की पालना में पदोन्नत कर दिया गया। जबकि अपीलार्थी को पदोन्नत नहीं किया गया। जहां तक अपीलार्थी को अध्यापक ग्रेड द्वितीय संस्कृत के

पद पर उससे कनिष्ठ कार्मिक की तिथि से पदोन्नत नहीं किए जाने का प्रश्न है, प्रत्यर्थी विभाग ने अपने जवाब में यह स्वीकार किया है कि आदेश दिनांक 26.10.2018 के द्वारा अधिकरण के आदेश दिनांक 08.11.2013 की पालना में बी.ए. संस्कृत योग्यताधारी शिक्षकों का वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत के पद पर पदोन्नति करने के आदेश प्रदान किए, जिसकी पालना में दिनांक 26.02.2020 को वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत के पद पर पदोन्नति दी गई। इस प्रकार अपीलार्थी भी संस्कृत विषय से स्नातक योग्यता उत्तीर्ण की है और अपीलार्थी भी अध्यापक ग्रेड द्वितीय संस्कृत के पद पर पदोन्नति प्राप्त करने का अधिकारी है। चूंकि उससे कनिष्ठ कार्मिक अर्चना, श्रीमती सरोज इत्यादि कार्मिकों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के खण्डपीठ में एकलपीठ के आदेश को चुनौती देने उपरांत माननीय खण्डपीठ द्वारा अधिकरण के आदेश को सही माना गया, जिसकी पालना में उक्त कार्मिकों को अध्यापक ग्रेड द्वितीय संस्कृत के पद पर पदोन्नति विभाग द्वारा प्रदान की गई जो कि अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिक हैं। सेवा नियमों के आधार पर अपीलार्थी भी उक्त कनिष्ठ कार्मिकों की भांति उसी तिथि से जिस तिथि से कनिष्ठ कार्मिकों को पदोन्नति का लाभ दिया गया है, अपीलार्थी भी उसी तिथि से उक्त पद पर पदोन्नति का लाभ प्राप्त करने का हकदार है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि माननीय अधिकरण के आदेश दिनांक 08.11.2013 एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के खण्डपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.10.2018 को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार अपीलार्थी के नाम पर भी अध्यापक ग्रेड द्वितीय संस्कृत के पद पर पदोन्नति हेतु विचार किया जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य